

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आवश्यक सूचना

2624
05/06/2025

विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2924 दिनांक 09.12.2024 द्वारा अस्थायी रूप से सृजित तकनीकी परामर्शी (वेतन स्तर 13-ए/14) के गैर संवर्गीय पद हेतु सेवानिवृत्त पदाधिकारी की संविदा आधारित नियुक्ति करने निमित्त आवेदन आमंत्रित किया जाता है :-

क्र०सं०	पदनाम	पद का स्वरूप	रिक्ति की संख्या	योग्यता एवं अनुभव
1	तकनीकी परामर्शी	अस्थायी एवं गैर संवर्गीय	1	क) वेतन स्तर 13-ए/14 के समतुल्य पद से सेवानिवृत्त। ख) असैनिक अभियंत्रण में स्नातक। ग) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 17 वर्षों का कार्यानुभव।

आवेदन विहित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में दिनांक 16.06.2025 अपराह्न 03.00 बजे तक अवर सचिव (प्रबंधन) कोषांग, प्रथम तल, सिंचाई भवन, सचिवालय, पटना में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट या ई-मेल आई० डी० undersecretary1.wrd@gmail.com पर जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। साक्षात्कार की तिथि आवेदक के ई-मेल पर दी जायेगी।

संविदा नियोजन हेतु शर्तें :-

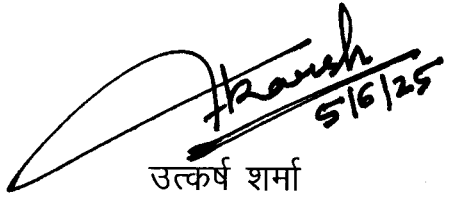
- 1) चयन हेतु आवेदक की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः एक वर्ष के लिए किया जायेगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक होगी। नियोजन का विस्तार नियोजित पदाधिकारी के कार्यों की समीक्षा के उपरांत एक-एक वर्ष हेतु किया जा सकता है।
- 2) कार्यों की समीक्षा के आधार पर कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के उपरांत नियोजित पदाधिकारी का संविदा नियोजन एक माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त की जा सकेगी।
- 3) संविदा के आधार पर नियोजन विभाग में अस्थायी रूप से सृजित पद के विरुद्ध किया जायेगा। उक्त पद की समाप्ति के साथ संविदा स्वतः समाप्त कर दिया जायेगा।
- 4) नियोजन हेतु चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र विभाग को समर्पित करना आवश्यक होगा।

- 5) सेवानिवृत्त अधिकारी को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन तथा उस पर तत्समय देय महंगाई भत्ता के योगफल में से मूल पेंशन एवं उस पर सेवानिवृत्ति की तिथि को देय महंगाई राहत का योगफल घटाने पर जो राशि आएगा, वही राशि मानदेय/संविदा वेतन के रूप में अनुमान्य होगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।
- 6) सेवानिवृत्ति और संविदा नियोजन के मध्य वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।
- 7) नयी पेंशन योजना से सेवा निवृत्त सरकारी सेवक का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य पे बैण्ड / लेवल का प्रारंभिक वेतन + उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महंगाई भत्ता की राशि के योगफल के समतुल्य होगा। परन्तु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन एवं उसपर अनुमान्य महंगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगी। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय वेतन + महंगाई भत्ता का योगफल ही पारिश्रमिक रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।
- 8) वेतन स्तर 13-ए/14 के समरूप पदों पर बाढ प्रक्षेत्रान्तर्गत सुरक्षात्मक एवं सघर्षात्मक कार्यों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण का अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी को संविदा नियोजन में प्राथमिकता दी जायेगी।
- 9) उक्त प्रक्रिया के अधीन निम्नांकित सरकारी सेवक नियोजन हेतु योग्य नहीं माने जायेंगे, जिनपर:-
- (क) कोई निगरानी का मामला प्रक्रियाधीन हो।
- (ख) कोई विभागीय कार्यवाही लंबित है।
- (ग) कोई गंभीर आरोप/आपराधिक मामला विचाराधीन हो।
- (घ) चयन समिति की दृष्टि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो सक्षम प्रतीत न हो।
- (ङ) उपर्युक्त (क) से (ग) के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
- 10) आवेदन पत्र के साथ पी०पी०ओ० (यदि निर्गत हो), अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित (छाया प्रति) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 11) व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर उक्त पद हेतु चयन किया जायेगा। साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

12) संविदा नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे, परन्तु उन्हें नियमानुसार आकस्मिक अवकाश एवं राजपत्रित अवकाश देय होगा। नियोजन के पश्चात् चयनित व्यक्ति का सरकारी सेवा में नियमितकरण का दावा मान्य नहीं होगा।

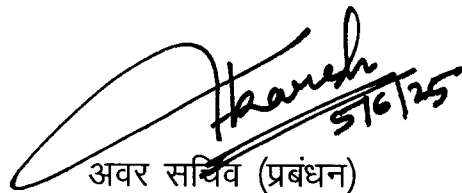
13) उक्त पद के लिए नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार जल संसाधन विभाग के पास सुरक्षित होगा एवं इसके विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

14) नियोजित व्यक्ति विभाग के साथ एकरारनामा सम्पन्न करेंगे तथा नियोजन की अवधि समाप्ति के पूर्व संविदा सेवा अवधि का विस्तार नहीं होता है, तो संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। इस हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।


उत्कर्ष शर्मा
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक-06/प्र०-07 (विविध)-05/2025 2624. पटना/दिनांक- 05/06/2025
प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 16.06.2025 तक लगातार प्रसारित करने हेतु विहित प्रपत्र के साथ प्रेषित।

अनु०- यथोक्त।


अवर सचिव (प्रबंधन)

जल संसाधन विभागान्तर्गत अस्थायी रूप से सृजित तकनीकी परामर्शी (वेतन स्तर
13-ए/14) के गैर संवर्गीय पद पर संविदा नियोजन हेतु आवेदन-प्रपत्र

1. आवेदित पद का नाम :- तकनीकी परामर्शी
2. आवेदक का नाम
हिन्दी में :-
अंग्रेजी में :-
3. आवेदक के पिता/पति का नाम :-
4. अभ्यर्थी की जन्म तिथि :-
5. सेवा निवृत्ति की तिथि :-
6. आरक्षण कोटि :-
7. विभाग एवं कार्यालय का नाम एवं पता :-
(जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत्त हुए हैं)
8. विभाग एवं कार्यालय में कार्यानुभव की अवधि :-
9. अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक :-
वाद/निगरानी वाद/विभागीय
कार्यवाही लंबित है या नहीं
(पूर्ण विवरण सहित)
10. अभ्यर्थी की विगत पाँच वर्षों :-
की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/
कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का विवरण
11. स्थायी पता :-
12. पत्राचार का पता:-

उम्मीदवार का स्व-
अभिप्रमाणित रंगीन
छायाचित्र

13. शैक्षणिक योग्यता:—

(सभी प्रमाण-पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

14. सेवा वृत्तांत :—

15. सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले वेतन/पे-बैंड/पे लेवल/महंगाई भत्ता एवं अन्य कुल प्राप्त होने वाली राशि (अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें):—

16. वर्तमान में पेंशन की राशि (पी०पी०ओ० की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें):—

17. मोबाईल संख्या:—

18. ई मेल:—

घोषणा— पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गई सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। मेरे द्वारा न तो कोई सूचना छिपाई गई है और न ही अनुचित ढंग से प्रस्तुत की गई है। यदि भविष्य में किसी स्तर पर दी गई जानकारी से किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के ही अस्वीकृत किया जा सकता है एवं विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान :—

दिनांक :—

आवेदक का हस्ताक्षर